न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 137/2025

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनामः—

सुभाष खीचड़ पुत्र मोहर सिंह (दुग्ध परिवहनकर्ता)
वाहन संख्या आर जे 18 जी सी 5413 हाल मैसर्सः—पंतजली आयुर्वेद लिमिटेड,
रीको, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 15, धानसिया, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री सतपाल भांभू, अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांक :—04.02.2026

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 08.02.2025 को समय 12.10 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण वाहन संख्या आर जे 18 जी सी 5413 हाल मैसर्सः—पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, रीको, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर सुभाष खीचड़ पुत्र मोहर सिंह (दुग्ध परिवहनकर्ता) निवासी—वार्ड नं. 15, धानसिया, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ मौके पर मिला। उक्त विक्रेता के पास 08 कैन में खाद्य पदार्थ Mixed Milk लगभग 03 क्विंटल आमजन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अमानकता का शक होने पर विक्रेता से करीब 02 लीटर Mixed Milk नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। जिसको चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया तथा प्रत्येक शीशी में 40—40 बूंदे फॉर्मलिन की डाली गई। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Mixed Milk के खरीद मूल का 100/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 02 लीटर Mixed Milk को चार बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं0 एके—3830 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—3830 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 126 दिनांक 17.02.2025 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2025/2854—55 दिनांक 27.02.2025 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रेफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक

30/1
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard Mixed Milk का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Mixed Milk विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 08.02.25 को समय 12.00 बजे अप्रार्थी अपने वाहन संख्या आरजे 18 जीसी 5413 को लेकर ग्राम भावल देसर, ढाणी भांभुआन, मिनकदेसर, कोलासर, धानसिया, खुईयां व अन्य करीब 10 गांव में पंतजलि डेयरी नाम से गांव से दिगर व्यक्ति दुध खरीद कर अप्रार्थी के साथ भेजते हैं। अप्रार्थी उक्त संपूर्ण दूध को पंतजलि आयुर्वेदिक डेयरी में लेकर आता है जिसमें अलग–अलग गांव से अलग–अलग दुध भेजा जाता है जिसमें अप्रार्थी बिना किसी सरोकार के उक्त दूध को डेयरी में पहुंचाने का कार्य करता चला आ रहा है जिसमें दिनांक 08.02.25 को अप्रार्थी अपने वाहन को लेकर पंतजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड नोहर में लेकर पहुंचा, वहां पर सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर उपस्थित थे जिन्होंने अप्रार्थी के वाहन से दुध का सैंपल लेकर प्रार्थी से उक्त दूध के बाबत पूछताछ की जिस पर अप्रार्थी द्वारा अपने रेगुलर रजिस्टर में कैन संख्या से मिलान कर उक्त दूध गाय का बताकर उसके मालिक का नाम बता दिया गया परंतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गाय के दूध को मिक्स दूध जानबूझकर मानकर उक्त दूध की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का यह कथन बिल्कुल असत्य दर्ज किया गया कि अप्रार्थी से 02 लीटर क्रय किया गया व उक्त दूध खरीद अप्रार्थी को दी गई परंतु अप्रार्थी की बिना किसी इजाजत उक्त दूध का सैंपल लिया गया व अप्रार्थी से करीब 10 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा ना ही किसी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये जबकि पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने करीब 15–20 वाहन अलग–अलग गांव से दूध लेकर पहुंचे हुये थे परंतु उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है जिससे यह पूर्णतय साबित है कि उक्त कार्यवाही मिथ्या है व खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी अनपढ़ व्यक्ति है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कभी भी अप्रार्थी को फार्म नंबर 5, पढ़कर नहीं सुनाया है व ना ही किसी प्रकार की जानकारी दी गई। अप्रार्थी से खाली कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा कर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 के नियमों का पूर्णतया पालन किया गया है अप्रार्थी द्वारा दिगर किसानों से दूध क्रय कर पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड नोहर में अपने वाहन से पहुंचाने का कार्य करता है। अप्रार्थी का उक्त मुकदमें में कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी निर्दोष है। अप्रार्थी के द्वारा अपने रजिस्टर व कैन संख्या के मालिक का नाम बता दिये जाने के बाद भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के बताये अनुसार दूध के मालिक पर कार्यवाही न कर अप्रार्थी को कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिये मजबूर किया है। जो बेबुनियादी होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कथन किया कि उक्त सैंपल पंतजली आयुर्वेद लिमिटेड के बाहर पीकअप गाड़ी से लिया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Mixed Milk की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Substandard Mixed Milk का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 20,000/–(अखरे रूपये बीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रतिलिपि प्रार्थी को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़